भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1740
27 जुलाई, 2022 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के 83 गोदामों के निर्माण

1740. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को केरल से खाद्यान्न के भंडारण के लिए राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के 83 गोदामों के निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;
(ख) क्या सरकार उक्त अनुरोध पर और भंडारण और गोदामों हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत केंद्रीय हिस्सा आबंटन करने पर विचार करेगी; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी हाँ।

(ख) और (ग): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्यतया चावल और गेहूं के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के प्रचालनों पर निर्भर करती है। खरीद वाले राज्यों में पिछले 3 वर्षों में उच्चतम स्टॉक स्तरों के आधार पर और खपत वाले राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) की 4 माह (पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ अन्य राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के मामले में 6 माह) की आवश्यकता के आधार पर भंडारण अंतर का आकलन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), भारत सरकार पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र के राज्यों और कुछ अन्य राज्यों में भंडारण क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ-साथ गोदामों के निर्माण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "भंडारण और गोदाम" क्रियान्वित कर रहा है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "भंडारण और गोदाम" के अंतर्गत केरल में 15000 टन की कुल भंडारण क्षमता का सृजन पहले से ही कर लिया गया है। इसके अलावा, वर्तमान में केरल में कोई भंडारण अंतर नहीं है।

.....2/-

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए & एफडब्ल्यू) द्वारा लागू की जा रही स्कीमों के अंतर्गत मामले को उठाने के लिए दिनांक 18.11.2021 के अ. शा. पत्र के माध्यम से पूर्व में प्राप्त प्रस्ताव , कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए & एफडब्ल्यू), भारत सरकार को दिनांक 06.01.2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, भंडारण सुविधाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि के माध्यम से केरल में 0.50 लाख टन की स्टील साइलो क्षमता को विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

******